रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

[प्राधिकार से प्रकाशित]

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1972/फाल्गुन 11, 1893

No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1972/PHALGUNA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1972

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 17/72-C.E., dated the 1st February, 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of one hundred and ninety rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad-valorem*.

[No. 21/72-C.E.—F. No. 7/4/72-CX.I]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1972

सा० का० नि० 91(अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 फरवरी 1972 की अधिसूचना स० 17/72 के उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद सं० (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्राभार्य चीनी के लिए एक सौ नब्बे रुपए प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

[सं० 21/72-के० उ० शु०/फा० सं० 7/4/72-के० उ० शु०]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971